न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओमप्रकाश बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 454/2023

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. जेठाराम पुत्र चुतराराम 2. महेन्द्रकुमार पुत्र चुतराराम 3. मनु पत्नी श्री चुतराराम 4. मगाराम पुत्र पेमाराम जातियान–जाट, निवासी–फतेहनगर केरला तहसील आउ, जोधपुर।		1. तिलाराम पुत्र रूपाराम 2. पपू पत्नी तिलाराम 3. भोमाराम पुत्र तिलाराम 4. श्रवण पुत्र तिलाराम 5. अनोपाराम पुत्र लालूराम जातियान–जाट, निवासी–फतेहनगर केरला तहसील आउ, जोधपुर। 6. भूमिधारी सरकार जरिये तहसीलदार आउ, जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 14.06.2023 जो उपखण्ड अधिकारी, लोहावट के द्वारा प्रकरण संख्या 28/2023 अनवान तिलाराम बनाम तहसीलदार आउ में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री देवीसिंह भाटी, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।

2– श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 ता 5 की ओर से।

2– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडन्ट संख्या 6 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 13 दिसम्बर ,2023

उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्टस के द्वारा यह अपील अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा उल्लेखित प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 14.06.2023 के विरूद्ध पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 से 4 ने धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रकरण पेश करते हुए निवेदन किया कि उनकी खातेदारी के खेत ख0सं0 363/260 रकबा 12.6980 हैक्टर भूमि ग्राम फतेहसागर में आई हुई है जिसके पडौसी खातदोर उनकी भूमि में बार–बार दखलअंदाजी कर रहे है इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में स्थाई मुटाम लगाम लगाकर पत्थरगढी कराना चाहते है, इस बाबत तहसीलदार आउ के आदेश द्वारा उक्त खसरान भूमि की

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

पैमाइश दिनांक 11.6.2022 को पटवारी हल्का द्वारा की जाकर सीमाकंन कर पालना रिपोर्ट पेश कर दी तथा विधिवत पैमाइश कर दी गई तथा ख0सं0 363/260 के खातेदार पैमाइश से संतुष्ट एवं सहमत है लेकिन मौके पर पडौसी खातेदार द्वारा विरोध किया गया तथा मौका रिपोर्ट पर उनके द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये है, इस कारण वे पत्थरगढी करवाना चाहते है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/रेस्पो0 के उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए ख0सं0 363/260 रकबा भूमि की पत्थरगढी किये जाने के आदेश पारित किये गये। अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

दौरान सुनवाई अपीलान्ट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल ख0सं0 260 को लेकर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के मध्य एक राजस्व वाद धारा 88, 53 राज0 काश्तकारी अधिनियम का विचाराधीन चल रहा है। इसी दौरान रेस्पो0 द्वारा एक प्रार्थना पत्र 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थनापत्र पेश किया जिसमें अपीलान्ट भी मुकदमा पक्षकार था जिसमें सफलता नहीं मिलते देख प्रार्थना पत्र को जरिये विड्रो खारिज करवा दिया गया तत्पश्चात बाले--बाले एक अन्य प्रार्थना पत्र पेश कर अपीलान्ट को बिना पक्षकार बनाये ही दिनांक 30.5.23 को पेश कर दिया तथा दिनांक 14.6.23 को ही निर्णित करवा लिया। उक्त निर्णय दिनांक की जानकारी अपीलान्ट को इस कारण से नहीं हो सकी। दिनांक 17.6.23 को पटवारी हल्का द्वारा बताये जाने पर उक्त आदेश की जानकारी हुई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उनको पक्षकार नहीं बनाया गया था अतः जानकारी की दिनांक से अपील को अन्दर म्याद प्रस्तुत किया जाना मानते हुए तथा अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करते हुए अपील को अन्दर म्याद मान गुणावगुण पर निर्णित की जावें।

अपीलान्टस के द्वारा अपील प्रस्तुत करने हेतु अनुमति के प्रार्थना पत्र एवं म्याद प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर अपील पेश करने की अनुमति दी जाती है तथा अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जाता है।

दौरान सुनवाई अपीलान्ट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट व रेस्पो0 संख्या 1 से 4 के मध्य अपीलाधीन कृषि भूमि खेत ख0सं0 363/260 (260/2), 260/1 म्हित अन्य भूमि की गलत सेग्रीगेसन के तहत सीमाओं को लेकर मौके पर कोई विवाद है। अपीलान्ट ने उपरोक्त भूमि सहित अन्य इन्ही खसरों की भूमि की गलत तरमीम कब्जे के विपरित ऑनलाईन राजस्व रेकर्ड दर्ज कर दिये जाने के विरूद्ध दिनांक 11.8.2021

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

को एक वाद अन्तर्गत धारा 85, 53 राज0 काश्तकारी अधिनियम व तरमीम दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किये गये जिसमें रेस्पो0 संख्या एक भी पक्षकार है जो आदिनांक विचाराधीन है। रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 ने इसी वादग्रस्त भूमि के बाबत वाद के तथ्य को छुपाया था और जानबूझकर अपीलाधीन प्रार्थना पत्र पेश कर आदेश पारित करवा लिया जो खारिज किये जाने योग्य है।

अपीलान्ट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि वादग्रस्त खसरे का मूल ख0सं0 260 है जिसमें बाद में बटटा नम्बर पडने पर अलग–अलग खसरा नम्बर पडे लेकिन रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 ने गलत तरमीम के आधार पर पत्थरगढी करने हेतु आदेश प्राप्त कर लिया है, उस स्थान पर अपीलान्ट का कब्जा है जहॉ पर टयूबवैल खुदा हुआ है और मकान बने हुए है। रेस्पो0 संख्या 1 से 4 का भी खसरे में दो जगह कब्जा काश्त है, इसलिये गलत तरमीम दुरूस्ती हेतु वाद दायर किया गया था जिसका संज्ञान अधीनस्थ न्यायालय को होते हुए भी अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया है जो निरस्त करने योग्य है।

अपीलान्ट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या एक ता चार ने अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया जिसके कारण उनको आदेश की जानकारी नहीं हो सकी और न ही उनके द्वारा अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रख सकें। वाद विचाराधीन रहते पत्थरगढी हेतु कानूनन कार्यवाही नहीं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्टस द्वारा एक अन्य प्रार्थना पत्र 46/2022 तिलाराम बनाम जेठाराम वगैराह पेश किया था लेकिन उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 19.9.23 को विड्रो कर लिया तथा नये सिरे से तथ्यों को तोड मरोड कर वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना पुनः नया प्रार्थना पत्र पेश कर दिया जो पोषणीय नहीं होते हुए स्वीकार कर लिया गया। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.6.2023 को निरस्त किया जावें।

प्रत्युतर में रेस्पोडेन्ट सख्या 1 ता 5 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा जो अपील पेश की गई है वह सारहीन व आधारहीन होने से अस्वीकार करने योग्य है क्योंकि अपीलान्ट अपीलाधीन आदेश में अंकित ख0सं0 363/260 की पत्थरगढी किये जाने बाबत पारित आदेश से किसी प्रकार से व्यथित व्यक्ति/खातेदार काश्तकार नहीं है और न ही अपीलान्ट के द्वारा अपील के संलग्न ऐसा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

कोई दस्तावेज पेश किया है जिससे यह प्रतीत होता हो कि वह अपीलाधीन आदेश में वर्णित खसरा संख्या 363/260 में खातेदार है और उनका कब्जा काश्त इत्यादि हो रखा है और उसकी पत्थरगढी किये जाने से उनको कोई आपत्ति हो रही हो। रेस्पोडेन्टस के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में इस आधार पर ही अपीलान्ट को आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया था, तहसीलदार भूमिधारी को अप्रार्थी बनाते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिसमें किसी प्रकार की अविधिक कार्यवाही नहीं की गई है। अपीलान्ट पडौसी खातेदार/व्यथित पक्षकार नहीं होने के कारण उनको पक्षकार नहीं बनाया गया था और न ही उनको सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक था। ऐसे में अपीलान्ट की अपील अस्वीकार करने योग्य है।

रेस्पोडेन्टस अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट के द्वारा ख0सं0 260/2 व 260/1 के सम्बन्ध में राजस्व वाद दायर किया गया है न कि ख0सं0 363/260 के बाबत, जिनकी जानकारी अधीनस्थ न्यायालय को भलीभांति रही है और इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए ख0सं0 363/260 की पत्थरगढी किये जाने बाबत आदेश पारित किया गया है।

रेस्पोडेन्टस अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्टस के मध्य ख0सं0 260/1 व 260/2 के बाबत वाद दायर होना अवगत किया है। उक्त खसरों बाबत रेस्पोडेन्ट की ओर से धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया गया था तब इन खसरों बाबत वाद दायर होने एवं वाद के विचाराधीन होने के कारण रेस्पोडेन्टस के द्वारा उक्त धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र को विड्रो कर लिया था।

रेस्पोडेन्टस अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन आदेश में वर्णित ख0सं0 363/260 के वह रेकर्डेड खातेदार है तथा खातेदार/काश्तकार को अपने हक–हिस्से वाली खातेदारी की भूमि की सीमाकंन करवाने एवं खेत खसरान की सुरक्षा हेतु पत्थरगढी करवाने का अधिकार होता है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की अपील सारहीन होन से एवं आधारहीन होने से अस्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश को यथावत बहाल रखा जावें।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो, अपीलांधीन आदेश का अवलोकन किया गया। जिससे यह पाया गया कि अपीलाधीन आदेश में वर्णित ख0सं0 363/260 भूमि से

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

सम्बन्धित खसरा संख्या 260, 260/1 एवं ख0सं0 260/2 का राजस्व रेकर्ड में एकीकरण करवाने व पुनः नये सिरे से वर्तमान में मौके पर काबिज काश्त अनुसार बटवाडा किया जाकर तरमीम करवाने हेतु धारा 88, 53 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत एक राजस्व वाद संख्या 158/2021 अनवान जेठाराम वगैराह बनाम तिलाराम वगैराह का विचाराधीन होना पाया गया है। ऐसे में राजस्व वाद के विचाराधीन रहते एवं उनके निस्तारण के पूर्व उनके बटटा खसरा संख्या 363/260 के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पोडेन्टस के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जो पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया गया है, जिसे विधि अनुकूल उचित नहीं कहा जा सकता है। ऐसे में अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए प्रकरण उक्त परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय को पुनः प्रतिप्रेषित करते हुए नये सिरे से आदेश पारित किये जाने हेतु निर्देशित किया जाना उचित रहेगा।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलान्टस की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, लोहावट के द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.06.2023 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी न्यायालय लोहावट में राजस्व वाद संख्या 158/2021 अनवान जेठाराम वगैराह बनाम तिलाराम वगैराह अन्तर्गत धारा 88, 53 राज0 काश्तकारी अधिनियम को दृष्टिगत रखते हुए तथा उभय पक्षकारान को अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए पुनः यथोचित निर्णय पारित करें। निर्णय आज दिनांक 13 दिसम्बर, 2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओम प्रकाश बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर